झारखण्ड विधान सभा

राज्य सरकार के पदों पर आरक्षण के आधार पर प्रोन्नत सरकारी सेवकों की परिणामी वरीयता का विस्तार विधेयक, 2022

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

राज्य सरकार के पदों पर आरक्षण के आधार पर प्रोन्नत सरकारी सेवकों की परिणामी वरीयता का विस्तार विधेयक, 2022

(सभा द्वारा यथापारित)

विषय सूची

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

2. झारखंड आरक्षण के आधार पर पदोन्नत सरकारी सेवकों की परिणामी वरीयता का विस्तार (राज्य की राज्य सेवाओं के पदों में) अधिनियम, 2022 के संबंध में।

राज्य सरकार के पदों पर आरक्षण के आधार पर प्रोन्नत सरकारी सेवकों की परिणामी वरीयता का विस्तार विधेयक, 2022

(सभा द्वारा यथापारित)

भारत गणराज्य के 73वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ-

(1) इस अधिनियम को "झारखंड आरक्षण के आधार पर पदोन्नत सरकारी सेवकों की परिणामी वरीयता का विस्तार (राज्य की राज्य सेवाओं के पदों में) अधिनियम, 2022" कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह अधिनियम राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएँ -इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "सरकार" से अभिप्रेत है झारखंड सरकार;

(ख) "सरकारी सेवक" से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति, जो झारखंड राज्य की राज्य सेवाओं का सदस्य है या जो झारखंड राज्य के मामलों के संबंध में एक सिविल पद धारण करता है और इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है, जिसकी सेवाएं अस्थायी रूप से भारत सरकार, किसी अन्य राज्य की सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों का मामला चाहे, निगमित हो या नहीं;

स्पष्टीकरण:- इस उपधारा की परिभाषा में अखिल भारतीय सेवा के सदस्य शामिल नहीं होंगे।

(ग) "आरक्षण" या "आरक्षण के प्रतिशत" से अभिप्रेत है झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम, 2001 समय-समय पर यथा संशोधित, में उपबंधित आरक्षण या आरक्षण का प्रतिशत तथा समय-समय पर यथा संशोधित अन्य आदेश, जिनमें प्रोन्नति में आरक्षण की नीति अंतर्विष्ट हो,

(घ) "पूर्वागत (बैकलॉग) " से अभिप्रेत है अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति की आरक्षित रिक्तियाँ, जो संबंधित कोटि के योग्य उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण भरा नहीं गया हो।

(ड़) " परिणामी वरीयता " से अभिप्रेत है ऐसी वरीयता जो किसी सरकारी सेवक की प्रोन्नति की तिथि से निर्धारित होगा।

3. झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम, 2001 समय-समय पर यथा संशोधित, में प्रदत्त प्रतिशत के अनुरूप अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सरकारी सेवक प्रोन्नति में आरक्षण के हकदार होंगे।

4. आरक्षण के आधार पर प्रोन्नत सरकारी सेवकों की वरीयता का निर्धारण:-

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट होते हुये भी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कोटि के सरकारी सेवक, जो पदोन्नति में आरक्षण नीति के अनुरूप प्रोन्नत हुए हों, आरक्षण के संदर्भ में पदोन्नति में आरक्षण या आरक्षण का प्रतिशत, जैसा कि प्रावधान किया गया है, परिणामी वरीयता के हकदार होंगे। पदोन्नत ग्रेड में वरीयता का निर्धारण कोटि को ध्यान में लाये बिना किसी ग्रेड में सेवा की अवधि के आधार पर किया जायेगा।

परन्तु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के साथ-साथ अनारक्षित श्रेणी से संबंधित, एक ही समय में एक समान आदेश के द्वारा एक ही ग्रेड में प्रोन्नत कर्मियों की परस्पर वरीयता उनके निम्न ग्रेड जिससे प्रोन्नत हुए हों की परस्पर वरीयता से निर्धारित की जाएगी।

परन्तु यह कि परिणामी वरीयता का सिद्धान्त लागू किए जाने के क्रम में आरक्षण की 50% सीमा का उल्लंघन वर्जित होगा।

परन्तु यह और कि जहाँ किसी संवर्ग में उन पदों पर लागू भरती के नियमों के अनुसार दो या अधिक निम्न संवर्गों से पदोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित है-

(i) प्रत्येक निम्न संवर्ग के लिये उच्चतर श्रेणी में उपलब्ध रिक्तियों की गणना इसके लिये प्रवृत्त भर्ती के नियमों के अनुसार की जायेगी।

(ii) प्रत्येक निचले संवर्गों के लिये इस प्रकार से गणना की गयी रिक्तियों की संख्या के लिये रोस्टर अलग से लागू किया जायेगा।

परन्तु यह भी कि रोस्टर बिंदुओं की क्रम संख्या, जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है, केवल एक समय में प्रोन्नति के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या की गणना की सुविधा के लिए अभिप्रेत है और ऐसे रोस्टर बिंदुओं का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की परस्पर वरीयता निर्धारित करना नहीं है। एक ही समय में प्रोन्नत अनारक्षित श्रेणी के सरकार सेवकों की तुलना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए और इस तरह की परस्पर वरीयता उस ग्रेड में वरीयता के आधार पर निर्धारित की जाएगी, जिससे उन्हें प्रोन्नत किया गया है।

परन्तु यह और भी कि ऐसे सरकारी सेवक जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, को अनारक्षित रोस्टर में प्रोन्नति के लिए विचार किया जा सकता है, यदि अन्यथा वे अपनी योग्यता के आधार पर प्रोन्नति के पात्र हैं।

5. समीक्षा के प्रावधान:- राज्य सेवा के संबद्ध पदों पर सभी प्रोन्नतियाँ, आरक्षण के प्रावधान तथा भर्ती एवं वरीयता की प्रक्रिया से संबंधित अन्य नियमों की सीमा तक एवं इनके अनुरूप होंगी। तदनुसार नियुक्ति प्राधिकार प्रोन्नति सुनिश्चित करने हेतु वर्तमान वरीयता सूची की समीक्षा एवं पुनर्गठन करेंगे:

परन्तु यह कि ऐसी किसी समीक्षा के उपरान्त यदि यह पाया गया कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से संबद्ध सरकारी सेवकों को आरक्षण के विरुद्ध तथा आरक्षण आदेश में विहित आरक्षण की सीमा के प्रतिकूल और उनका उल्लंघन कर आरक्षण एवं बैकलॉग रिक्तियों पर प्रोन्नत किया गया है तो इनका समायोजन समय-समय पर निर्गत आरक्षण आदेश के रोस्टर बिन्दुओं के अनुरूप पात्रता की उपयुक्त तिथि नियत कर, किया जायेगा। यदि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के ऐसे व्यक्ति, जिन्हें आरक्षण प्रावधानों की सीमा से अधिक या इसके विपरीत आरक्षण या बैकलॉग रिक्तियों पर प्रोन्नत किया जा चुका है और जिन्हें रोस्टर बिन्दुओं के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जा सकता, उन्हें अतिरिक्त पदों के विरुद्ध जारी रखा जायेगा, जिसका सृजन वित्त विभाग की सहमति से प्रशासी विभाग द्वारा उसी संवर्ग में किया जायेगा, जिसमें वे वर्तमान में कार्यरत हैं, जब तक कि वे उस संवर्ग प्रोन्नति हेतु पात्र न हो जाए।

6. नियम बनाने की शक्ति:- (1) राज्य सरकार यदि आवश्यक समझे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के क्रियान्वयन के लिये अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया हर नियम, बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र, विधानसभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा। वह अवधि एक सत्र में, अथवा दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व सदन सहमत हो जाए कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात यह निष्प्रभावी हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

7. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति:- (1) इन नियमों के उपबंधों को प्रभावी बनाने में यदि कोई कठिनाई होती है, तो राज्य सरकार राजपत्र में आदेश जारी कर ऐसा उपबंध कर सकती है, जो कठिनाई को दूर करने के लिये आवश्यक प्रतीत हो।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किये जाने के तुरत बाद यथाशक्य शीघ्र राज्य विधानसभा के सदन के समक्ष रखा जाएगा।

यह विधेयक राज्य सरकार के पदों पर आरक्षण के आधार पर प्रोन्नत सरकारी सेवकों की परिणामी वरीयता का विस्तार विधेयक, 2022 दिनांक 24 मार्च, 2022 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक 24 मार्च, 2022 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(रबीन्द्र नाथ महतो)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 119--50--31-03-2022 ।